# MANDATORY DISCLOSURE

# SESSION (2024-25)

# OF

# VIDYA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, VIDYA KNOWLEDGE PARK,

# BAGHPAT ROAD, MEERUT-250002

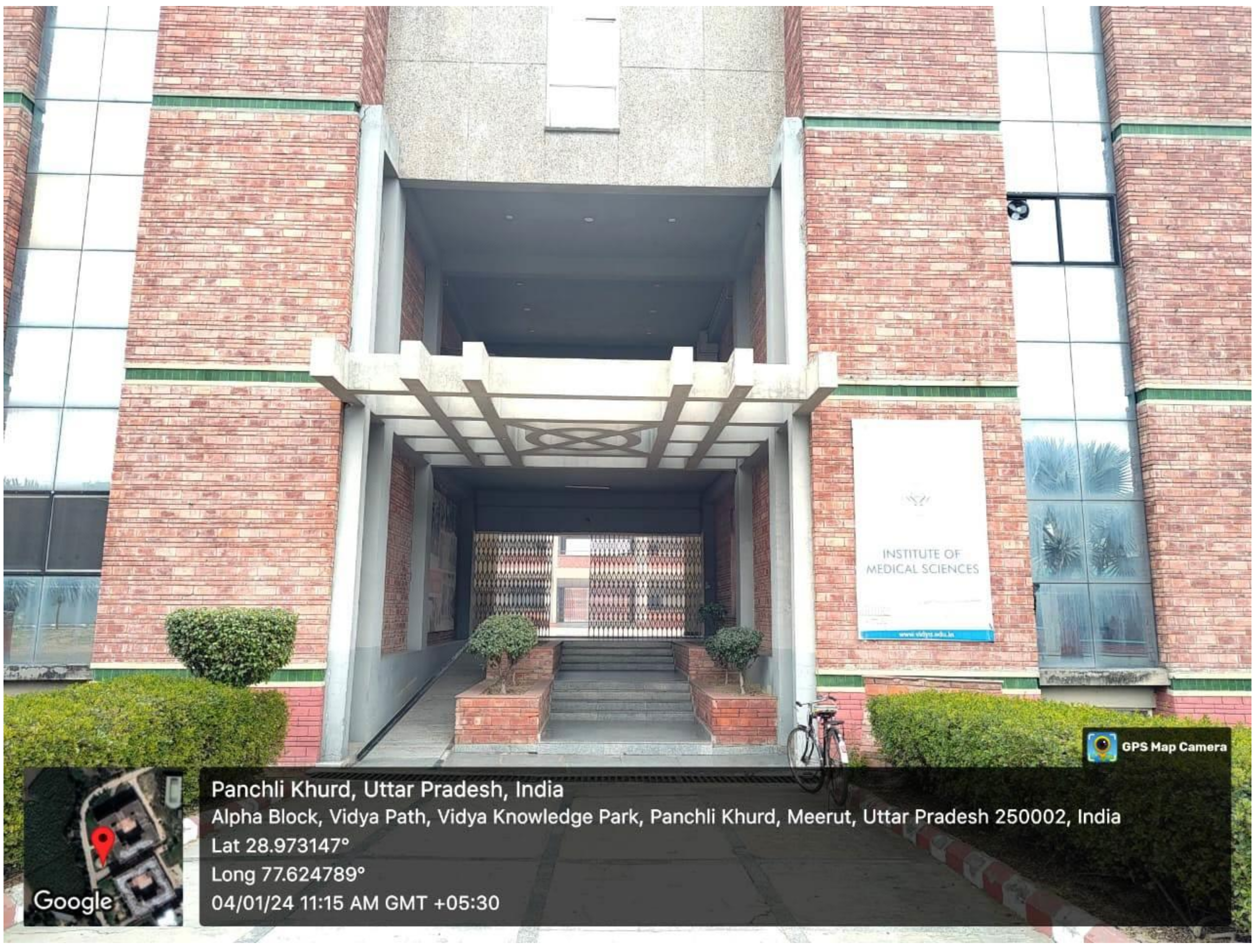


# FOR

# PHARMACY INSTITUTE

# Name and address of the Society

**Name:** Vidya Bal Mandli Society

**Address:** 247, Vidya Knowledge Park, Baghpat Road, Meerut

## LIST OF MEMBERS OF THE BOARD OF MANAGEMENT

| S.No. | Name | Designation | Photo |
|---|---|---|---|
| 01 | Sh. Pradeep Kr. Jain | Chairman | |
| 02 | Dr. Praveen Kr. Jain | Vice Chairman | |
| 03 | Smt. Ritu Jain | Treasurer | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **04** | **Sh. Vishal Jain** | **Secretary** | |
| **05** | **Sh. Rakesh Jain** | **Trustee** | |
| **06** | **Sh. Prateek Jain** | **Trustee** | |
| **07** | **Smt. Shreya Jain** | **Trustee** | |
| **08** | **Smt. Pragya Jain** | **Trustee** | |

Name and Address of the Director: **Dr. Permender Rathee**
**Vidya Knowledge Park, Baghpat Road,**
**Meerut-250002**

Mobile No : **+91 8650000779**

e-mail : **info@vidya.edu.in**

Name of the affiliating Board : **Board of Technical Education,**
**1, Guru Gobind Singh Marg, Bans Mandi**
**Charbagh , Lucknow (U.P.)**

Name of the Approved By : **Pharmacy of Council of India**
**Plot No, 2, Community Centre, Maa Anandmai**
**Marg, Okhla, Phase-I, New Delhi- 110020**

## Name of Programmes Offered by the Institution: -

| Programme | Intake | Duration | Eligibility | Course Fee (Per Year) |
|---|---|---|---|---|
| B.Pharm (Bachelor of Pharmacy) | 60 | 4-Years | 10+2 (PCM/PCB) with Minimum 50% Marks | 1,20,000/- |
| D.Pharm (Diploma in Pharmacy) | 60 | 2-Years | 10+2 (PCM/PCB) with Minimum 50% Marks | 95,850/- |

**कार्यालय,**

**सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,**

**उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

**संख्याः- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2023/2309001** **लखनऊः दिनांकः 23.09.2023**

**:-कार्यालय ज्ञाप-:**

फार्मेसी काउन्सिल ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु नवीन डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन प्रदान किये जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में दिनांक 22-09-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु फार्मेसी काउन्सिल ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु प्रदान की जाती है:-

| **संस्था का कोड एवं नामः- 1453 - VIDYA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, MEERUT** | | | |
|---|---|---|---|
| क्रं0सं0 | पाठ्यक्रम का नाम | पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता | परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता |
| 1 | **डिप्लोमा इन फार्मेसी** | **60** | **60** |

**सम्बद्धता हेतु शर्तें-**

- ✓ संस्था फार्मेसी काउन्सिल ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ पी0सी0आई0 के मानक के अनुरूप समस्त संसाधन (भूमि, भवन, लैब उपकरण) आदि उपलब्ध हैं।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होगें, और तद्नुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2023-24 हेतु फीस का पुनर्निधारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशो का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का फार्मेसी काउन्सिल ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व फार्मेसी काउन्सिल ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्राविधिक शिक्षा के यू0राइज पोर्टल पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (समितियां और उपसमितियां, सँस्थाओं का सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली, 2000 के प्राविधानानुसार परिषद् की मांग पर अपने कर्मचारियों, भवनों और फर्नीचर को परिषद् को परीक्षा के संचालन के लिए परिषद् के अधिकार में रखेगी।
- ✓ संस्था के औचक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लघंन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव।

**पृ0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2023/2309002-2309494** **तद्दिनांकः 23.09.2023**

**प्रतिलिपिः**-प्रधानाचार्य/निदेशक, VIDYA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, MEERUT

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव।

भारतीय भेषजी परिषद्
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत सांविधिक निकाय)
भारत सरकार
एन बी सी सी सैन्टर, तृतीय तल, प्लॉट नम्बर 2,
कॉम्युटी सैन्टर, मां आनन्दमयी मार्ग,
ओखला, फेस–I, नई दिल्ली–110020
दूरभाष 011-61299900-03

PHARMACY COUNCIL OF INDIA
(Statutory body under Ministry of Health & Family Welfare)
Government of India
NBCC Centre, 3rd Floor, Plot No. 2,
Community Centre, Maa Anandmai Marg,
Okhla, Phase-I,New Delhi-110020
Telephone No. 011-61299900-03

## DECISION LETTER

| | |
|---|---|
| Institute Name/Inst ID | vidya institute of medical sciences, vidya knowledge park, bagpat road, meerut, uttar pradesh / PCI-5060 |
| State | UTTAR PRADESH |
| District | |
| Village/Town/City | PANCHLI KHURD |
| Pin Code | 250002 |

Sir/Madam

With reference to the subject cited above i am directed to convey the approval of PCI as per Following Details

| Course | Name of Affiliation body/University | Decision | Approval Status | Approval Upto |
|---|---|---|---|---|
| D.Pharm | The Secretary Uttar Pradesh Board of Technical Education Guru Govind Singh Marg Lucknow Uttar Pradesh | 397 EC (7.7.2023 & 8.7.2023) decided as under - The latest information/report on record including appeal was placed and considered for D. Pharm Grant approval for 2023-2024 academic session for the conduct of 1st year for 60 admissions for D. Pharm course. Grant | Approve | 2023-24 |

Date: 17 Jul, 2023

[redacted]

For
Registrar-cum-Secretary
PCI

Copy to

i) Registrar of the University

ii) Principal of the college

iii) Secretary/Chairman of the Trust/Society

iv) Guard File (PCI)

Note: Validity of the course details may be verified at www.pci.nic.in

# डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ0प्र0
सेक्टर–11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ–226031

पत्रांकः ए0के0टी0यू0 / कुस0का0 / 2024 / 2492 दिनांकः 10 जून, 2024

**अनापत्ति / (NOC)**

सेवा में,

अध्यक्ष / सचिव,
VIDYA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES,
MEERUT.

महोदय,

शासन द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या 664424 / 16–1099 / 82 / 2024 दिनांक 07 जून, 2024 के क्रम में शैक्षिक सत्र 2024–25 में Bachelor of Pharmacy विधा में नये संस्थान / पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए अनापत्ति / (NOC) निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान की जा रही है।

1. संस्थान द्वारा नियामक संगठन तथा ए0के0टी0यू0, लखनऊ द्वारा निर्धारित मानकों एवं शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
2. शासनादेश संख्या 465018 / 2024 / 16–3099 / 156 / 2019 दिनांक 05.01.2024 निर्धारित दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
3. सम्बद्धता से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा कराये गये सत्यापन में अवस्थापना सुविधाओं एवं मानव संसाधन समुचित नहीं पाये जाने पर अनापत्ति स्वतः समाप्त मान ली जाएगी।

कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सदस्य सचिव, फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली।
2. वित्त अधिकारी, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।
3. स्टाफ आफिसर, कुलपति कार्यालय, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।

कुलसचिव

# प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

# अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

**यूआईडी संख्या: UPFS/2022/44481/MRT/MEERUT/601/CFO**
**दिनांक: 14-02-2022**

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **VIDYA Knowledge Park C O VIDYA BAL MANDALI SOCIETY** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम)पता **KH.NO. 247,VIDYA KNOWLEDGE PARK BAGHPAT ROAD MEERUT,Meerut** तहसील - **Meerut Sadar**, प्लाट एरिया **171390.00 sq.mt** , कुल कवर्ड एरिया **89098.83** (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - **4** जिसमें

| ब्लॉक/टावर | प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या | बेसमेन्ट की संख्या | ऊँचाई |
|---|---|---|---|
| Admin Academic Block 1 | 5 | 0 | 23.70 mt. |
| Academic Block 4 | 3 | 1 | 16.15 mt. |
| Academic Block 5 | 3 | 1 | 16.15 mt. |
| Academic Block 6 | 3 | 0 | 12.70 mt. |

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **VIDYA Knowledge Park C O VIDYA BAL MANDALI SOCIETY** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण **अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **15-02-2022** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **VISHAL JAIN** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **18-02-2022** से **17-02-2025** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **VIDYA Knowledge Park C O VIDYA BAL MANDALI SOCIETY** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **VIDYA Knowledge Park C O VIDYA BAL MANDALI SOCIETY** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

**Note :** अग्निशमन अधिकारी मेरठ द्वारा प्रेषित संस्तुति सहित निरीक्षण के आधार पर उक्त प्रमाण–पत्र निर्गत किया जा रहा है।

<u>"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है | इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा | यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है |"</u>

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

**(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)**

Digitally Signed By
(SANTOSH KUMAR RAI)
[85A104D63E7672F6A4B15F7FD64296604910C9BB]
18-02-2022

**निर्गत किये जाने का दिनांक : 18-02-2022**
**स्थान : MEERUT**